न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

CNR NO. UPAZ01–004229–2018

सत्र वाद सं०–195/2018
राज्य बनाम राजेन्द्र पासी आदि
अपराध सं०–20/24
थाना–तरवां, आजमगढ़

दिनाँक–19.08.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त श्याम बाबू पासी जेल से उपस्थित है। अभियुक्तगण पंकज पासी, हरिकेश यादव, सोहन पासी व राजेन्द्र पासी उपस्थित हैं। शेष अभियुक्तगण की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता केवल आज के लिए स्वीकृत।

अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र 349 ख दिनाँकित 15.07.2025 पर बल देते हुए कहा गया गया है कि न्यायालय के आदेश दिनाँकित 27.07.2023 के अपास्त कर अभियुक्तगण को साक्षी सं०–8 विश्वजीत सिंह से जिरी करने का अवसर प्रदान किया जाये।

विशेष शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दिनाँक 25.07.2023 को आवेदक की तरफ से साक्षी विश्वजीत सिंह से जिरह का पर्याप्त मौका उनके अधिवक्ता को दिया गया था। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में दिनाँक 27.06.2023, 03.07.2023, 10.07.2023 को भी साक्षी से जिरह नहीं की गयी थी। न्यायालय द्वारा दिनाँक 25.07.2023 को मात्र 6 पेज जिरह अन्य मुल्जिमान के अधिवक्ता द्वारा हुई उसके बाद न्यायिक कार्यवाही के दौरान वी०सी० पर उलब्ध अभियुक्त से तथा अन्य प्रकार से बार–बार जिरह हेतु कहा गया किन्तु अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गयी। साक्षी लगभग एक माह से प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित आता था किन्तु अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया गया। साक्षी को भी सुरक्षा देकर लाया जाता था। मामला अत्यन्त संगीन तथा साक्षी को खतरा था इन तमाम कारणों से न्यायालय का आदेश दिनाँकित 25.07.2023 अपने आप में न्यायसंगत है। रिकाल किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर दिया गया है। निरस्त किया जाये।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनाँक 25.07.2023 में न्यायालय का आदेश काफी विस्तृत है। उक्त आदेश में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण की ओर से साक्षी से जिरह न किये जाने के सन्दर्भ में वर्णन किया गया है। इस प्रार्थना पत्र के जरिये अभियुक्तगण द्वारा किसी नये तथ्य को प्रकाश में नहीं लाया गया है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते समय पी०डब्लू०–8 की जिरह करने का अवसर पुनः उपलब्ध कराने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सके।

अतः प्रकरण की सम्पूर्णता को देखते हुए अभियुक्तगण द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2025.08.19 16:41:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

349 ख निरस्त किया जाता है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि इस प्रकरण में एक अन्य साक्षी द्वारा जरिये फैक्स न्यायालय से यह याचना की गयी वह वर्तमान में जनपद मथुरा में कार्यरत हैं और उनका साक्ष्य जरिये वी०सी० अगली तिथि पर लिया जाये। न्यायहित में उक्त याचना स्वीकार की जाती है। साक्षी संदीप कुमार सिंह अगली तिथि पर जरिये वी०सी० उपस्थित हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनाँक 22.08.2025 को पुनः पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/
एम०पी०/एम०एल०ए०,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़